संख्या-79/2017/2320/92-1-2017-56(अधि0)/2017

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियंता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, लखनऊः दिनांकः 17 अगस्त, 2017

विषयः- परिमण्डल के अधीन समूह-'ग' एवं 'घ' (अवर अभियंताओं के अतिरिक्त) के कर्मचारियों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-82/ग्रा0अ0वि0/स्था0-2/लीगल सेल/17-18, दिनांक 01-8-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 01-8-2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त समूह-'ग एवं घ' के अराजपत्रित (गैर तकनीकी) कार्मिक जिनकी ज्येष्ठता परिमण्डल/प्रखण्ड स्तर पर निर्धारित है, उन कार्मिकों के स्थानांतरण सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता द्वारा एक जनपद से दूसरे जनपद में एवं मुख्य अभियंता द्वारा अपने जोन के अन्तर्गत उन कार्मिकों के स्थानांतरण एक परिमण्डल से दूसरे परिमण्डल में किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उपरोक्त निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-79/2017/2320(1)/92-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in